

उपसमिति की बैठक का कार्यवृत्त आख्या

आज दिनांक 09.03.2018 को पार्किंग नीलाम उप-समिति की बैठक मेरे विश्राम कक्ष सायं 4.30 बजे आहुत की गई। बैठक मे निविदा समिति के प्रथम सदस्य श्री समरपाल सिंह बालियान, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय बागपत (सदस्य) एवं श्री आबिद शमीम, प्रभारी अधिकारी नजारात/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय सं0-02 बागपत। (सदस्य) उपस्थित आये। उप-नाजिर के द्वारा पूर्व वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 एवं 2017-18 की मोटर साईकिल एवं कार पार्किंग की नीलामी से सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत की गई।

नवनिर्मित दीवानी न्यायालय परिसर मे वित्तीय वर्ष 2018-19 (01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक) हेतु वर्तमान मे दो पार्किंग स्टैण्ड की नीलामी दिनांक 24.03.2018 को समय 1.30 बजे अपराह्न सिविल कोर्ट परिसर मे नवनिर्मित न्याय भवन मे समागार में की जायेगी। नीलामी की शर्तें निम्नवत है :-

1. कार पार्किंग एवं साईकिल/मोटर साईकिल पार्किंग की नीलामी का कार्यकाल चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 (01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक) का होगा।
2. पार्किंग की नीलामी मे बोली बोलने वाले व्यक्ति का मु0 20,000/- सुरक्षा धनराशि नगद/बैंक ड्राफ्ट जमा करनी होगी। बोली होने के पश्चात यह धनराशि बोली की रकम मे समायोजित की जायेगी परन्तु जिनकी बोली स्वीकृत नही होगी, उन्हे सुरक्षा धनराशि वापस कर दी जायेगी। नीलामी मे भाग लेने वाले व्यक्तियों को दिनांक 23.03.2016 तक बोली बोलने वाले व्यक्तियों को नगद रूप/बैंक ड्राफ्ट के रूप मे जमानत धनराशि केन्द्रीय नजारात मे जमा करना होगा उन्हे ही बोली लगाने का अधिकार प्राप्त होगा।
3. प्रत्येक बोली बोलने वाले व्यक्ति को एक फार्म भरना होगा, जो 100 रुपये मूल्य पर नजारात कार्यालय मे दिनांक 09.03.2017 से 23.03.2017 तक 12.00 बजे अपराह्न तक उपलब्ध रहेगा। उक्त फार्म के साथ सम्बन्धित ठेकेदार को सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त अपना स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। नीलामी मे भाग लेने हेतु व्यक्ति को अपना आवेदन फार्म तिथि 23.03.2018 तक प्रस्तुत कर सकते है।
4. ठेका प्राप्त करने वाले व्यक्ति का दायित्व होगा कि वह पांच दिन के अन्दर ठेके के अनुबन्ध हेतु रुपये 100/-का जनरल स्टाम्प नजारात कार्यालय मे प्रस्तुत करें, ताकि अनुबन्ध पत्र माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा अनुमोदित किया जा सकें।
5. बोली स्वीकृत होने पर सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा बोली की सम्पूर्ण धनराशि एक मुश्त चालू वित्तीय वर्ष हेतु तुरन्त जमा करनी होगी।
6. बोली की तिथि आगे बढ़ाने, उसे निरस्त करने अथवा कोई बोली स्वीकृत या निरस्त करने का अधिकार श्रीमान जनपद न्यायाधीश बागपत को होगा।
7. श्रीमान जनपद न्यायाधीश बागपत अथवा प्रभारी अधिकारी नजारात, जजी द्वारा ठेके के समय या वित्तीय वर्ष के दौरान जो भी आदेश दिये जायेंगे। ठेकेदार द्वारा उनका पूर्ण रूप से पालन करना होगा। आदेश का पालन न करने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है।
8. साईकिल स्टैण्ड के ठेकेदार द्वारा साईकिल स्टैण्ड मे कीचड जल, भराव आदि की समस्या को रोकने के लिये आवश्यक साफ-सफाई के साथ ही फर्श भी मजबूत रखनी होगी जिससे वाहन आने जाने पर धूल व कीचड से बचाव हो सके।
9. अधिक बोली दाता के पक्ष मे ठेका छूटने पर यदि उसके द्वारा तत्काल सम्पूर्ण धनराशि जमा नही की जाती तो नीलामी समिति द्वारा स्व-विवेकानुसार अगली अधिकतम बोली बोलने वाले के पक्ष मे बोली स्वीकृत की जा सकती है। और ऐसी स्थिति मे ऐसे व्यक्ति को उसके द्वारा बोली गई बोली की धनराशि तत्काल जमा करनी होगी।
10. यदि किसी व्यक्ति के पक्ष मे बोली छोडी गई अथवा नीलामी समिति द्वारा स्वीकृत की गई उसके द्वारा सम्पूर्ण धनराशि तत्काल जमा नही की गई तो उसकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जायेगी।
11. ठेका शर्तों के उल्लघन पर किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के जमा धनराशि जब्त करते हुये माननीय जनपद न्यायाधीश बागपत महोदय द्वारा निरस्त किया जा सकेगा तथा

2.
ठेकेदार को अविलम्ब स्थान खाली करके कब्जा वापिस करना होगा। अन्यथा ठेकेदार के खर्च पर खाली कराकर कब्जा वापिस लिया जायेगा। ठेका पुनः नीलामी आवंटन योग्य होगा।

12. अपराधिक इतिहास वाले किसी भी व्यक्ति को बोली में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। यदि इस तथ्य को छिपाये जाने पर किसी व्यक्ति का ठेका यदि स्वीकृत हो जाता है, तो उसकी जानकारी होने पर ठेका तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा एवं उसके द्वारा जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु कार पार्किंग एवं मोटर साईकिल व साईकिल पार्किंग का ठेका की दर निम्नवत है :-

कार पार्किंग	30 रुपये प्रति वाहन
मोटरसाईकिल	10 रुपये प्रति वाहन
साईकिल	05 रुपये प्रति वाहन

यदि नीलामी का औसतन आकलन किया गया जो निम्न प्रकार से है:-


कार पार्किंग व मोटरसाईकिल व साईकिल पार्किंग

वाहन का विवरण	प्रतिदिन वाहनों की अनुमानित संख्या	प्रतिदिन औसतन आय	प्रतिमाह औसतन आय (22 दिन)
चार पहिया वाहन	20 से 30	440 से 600	9680 से 13200 तक
दो पहिया वाहन	80 से 120	800 से 1200	17600 से 26400 तक


कार पार्किंग व मोटरसाईकिल व साईकिल पार्किंग हेतु धरोहर धनराशि

क्रम सं०	ठेके का विवरण	धरोहर राशि	भूमि का विवरण
1.	कार पार्किंग	20,000/- रुपये	34.00 मीटर गुना 30.00 मीटर
2.	मोटरसाईकिल व साईकिल पार्किंग	20,000/- रुपये	34.10 मीटर गुना 31.00 मीटर


नीलामी की शर्तें माननीय जनपद न्यायाधीश बागपत को अनुमोदनार्थ प्रेषित है।


(आबिद शमीम)

सदस्य
वाहन पार्किंग नीलाम समिति /
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
त्वरित न्यायालय सं०2
बागपत।


(समरपाल सिंह बोलियान)

सदस्य
वाहन पार्किंग नीलाम समिति
प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय
बागपत।


(रमेश चन्द्र-पंचम)


अध्यक्ष
वाहन पार्किंग नीलाम समिति /
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
न्यायालय सं०-01
बागपत।

पत्रांक :-

दिनांक :-

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु

1. जनपद न्यायाधीश, बागपत।
2. जिलाधिकारी, बागपत।
3. नगर निगम, बागपत।
4. तहसील, बागपत।
5. दैनिक समाचार-पत्र, मे नि: शुल्क प्रकाशनार्थ।
6. कंप्यूटर विभाग, जनपद न्यायालय, बागपत को जनपद न्यायालय, बागपत एवं महानिबन्धक महोदय, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।


(रमेश चन्द्र-पंचम)

अध्यक्ष

वाहन पार्किंग नीलाम समिति,

Apprentice
8

District Judge

दीवानी न्यायालय बागपत।

वाहन पार्किंग आवेदन फार्म

क्रमांक:-

नवीनतम फोटो

नीलामी मे भाग लेने वाले व्यक्ति का नाम :- श्री

पिता का नाम :- श्री

स्थायी पता :-

वर्षिक आय :-

शैक्षिक योग्यता :-

कार्य का अनुभव यदि हो तो :-

व्यवसाय :-

उम्र :-

मै/हम इस ठेका सम्बन्धी कार पार्किंग/मोटर साईकिल/साईकिल पार्किंग की नीलामीके सम्बन्ध में आवेदन करता/करती हूँ।

मेरे द्वारा दिनांक.....को निराक्षित की गयी तथा रू पया का नगद/बैंक ड्राफ्ट संख्या :-.....दिनांकित :-..... घनराशि सिक्कोटि के रूप मे जमा कर दी गयी है। जिसे यदि मै ठेका का कार्य करने मे अस्मर्थ रहता हूँ या पूर्ण घनराशि जमा करने मे असफल होता हूँ तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया जायें। नीलामी समिति की शर्तों को भली-भांति पढ व समझ लिया है। जिसका मै भली-भांति पूर्ण रूप से पालन करूंगा।

उपरोक्त नीलामी मेरे द्वारा दीवानी न्यायालय बागपत, प्रांगण में नीलामी समिति के द्वारा अधिकतम घनराशि रूपयाघोषित की जाती है व यह घोषणा की जाती है कि उपरोक्त निविदा फार्म में भरी गयी समस्त सूचना सही व सत्य है। यदि उपरोक्त सूचना असत्य पायी गयी तो मेरी निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

दिनांक :-

हस्ताक्षर आवेदक

नोट :-

01. ठेकेदार/व्यक्ति को नीलामी मे भाग लेने वाले हेतु अपनी आधार कार्ड आई0 डी0 की स्वसत्यापित छायाप्रति, मोबाईल नम्बर, घर का बेसिक/टेलीफोन/मोबाईल नम्बर उक्त फार्म के साथ देना अनिवार्य होगा। अपूर्ण फार्म स्वीकार नहीं किया जायेगा।

दिनांक:-

आवेदक के हस्ताक्षर

5/11/19

5/11/19

5/11/19